न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1479/2026

विजय कुमार आयु करीब 44 साल पुत्र सूरजलाल निवासी ग्राम मठ मजरे बड़नपुर थाना रामनगर, जिला बाराबंकी।

—————— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार — विपक्षी।

अपराध सं–214/2026
धारा–108,351(3) बी एन एस
थाना– रामनगर,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	**श्री हरिनाथ वर्मा**
अभियोजन पक्ष की ओर से	**श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी।**
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	**23.05.2026**
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	**01.06.2026**

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादिनी मुकदमा की पुत्री रोशनी का विवाह ग्राम मठ के आकाश पुत्र विजय से हुयी थी। आकाश के भाई मनीष ने वादिनी की तेरह वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा और दिनांक 13.05.2026 को शादी से इन्कार कर दिया और शादी कर ली। मनीष के भाई, पिता आदि ने उसकी पुत्री नैनसी को जान से मारने की धमकी दी जिससे आहत होकर वादिनी की पुत्री ने कीटनाशक दवा पी ली और रामनगर अस्पताल से रेफर होने के बाद ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सलाह मशविरा कर दो दिन बाद से दर्ज करायी गयी है। मृतका द्वारा ग्राम चंदनापुर में अपनी बहन के घर पर कीटनाशक दवा पी गयी है जो आवेदक/अभियुक्त के घर से काफी दूर है। आवेदक/अभियुक्त पर मात्र धमकी दिये जाने का अभियोग है, जो आवेदक/अभियुक्त पर गठित भी नहीं होता है। वादिनी मुकदमा की दो पुत्रियां मृतका नैनसी से बड़ी हैं और अविवाहित हैं अतः नैनसी की शादी का आरोप लगाया जाना मिथ्या है। वादिनी नैनसी से बड़ी पुत्री की शादी आवेदक/अभियुक्त के पुत्र से करना चाहती थी परन्तु आवेदक/अभियुक्त एक घर से दो रिश्ते करने को तैयार नहीं था और मना कर दिया जिससे वादिनी नाराज हो गयी और नैनसी की मृत्यु उपरांत साजिशन यह रिपोर्ट सोच समझकर दर्ज करा दी। शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है न ही कोई दुष्प्रेरण का ही साक्ष्य आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध है। बिसरा रिपोर्ट अभी

प्राप्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्त मनीष का पिता है और मनीष द्वारा मृतका नैनसी से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया और बाद में शादी से इन्कार करके अन्यत्र शादी कर ली गयी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा नैनसी को जान से मारने की धमकी दी गयी थी। मृतका द्वारा अभियुक्त गण के कृत्य से आहत होकर कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त ग्राम मठ मजरे बड़नपुर का रहने वाला है जबकि मृतका की मृत्यु ग्राम चंदनापुर में, मृतका की बहन के घर पर होने का अभियोजन कथानक है। शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है और न ही मृतका के शरीर पर कोई चोट का निशान पाया गया है। बिसरा सुरक्षित रखने का उल्लेख है परन्तु अभी तक बिसरा रिपोर्ट संकलित नहीं की गयी है। मामले में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 17.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है तथा उस पर मृतका को जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभियोजन कथानक है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विजय कुमार उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन–50,000/–रूपये(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1–आवेदक/अभियुक्त दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

2–अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताड़ित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3–आरोप, साक्ष्य, धारा–351 बीएनएसएस के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेगा तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक–01.06.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899